तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
28/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप० वादी स्वयं उप०। साक्ष्य शपथ पेश हुआ जो शामिल पत्रावली हो। वादी की ओर से बहस की गई जो सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 31/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	
31/1/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता संख्या नया 220 पुराना खाता सख्या 117 की अराजी ख०नं0 691 रकबा 2.43 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी हरिप्रसाद पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ के खाते दर्ज रेकार्ड है। वादीनी ने उक्त आराजी ख0नं० 691 रकबा 2.43 है० वाके ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजी में से 1.12 हैक्टर (अर्थात 7 बीघां) आराजी उत्तर दिशा वाली (ख0नं0 904/684 व ख0नं0 684 से लगवां) को खातेदार हरिप्रसाद पुत्र नन्दकिशोर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है। जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय कोटा में दिनांक 18.09.2024 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1849 पृष्ठ संख्या 142 क्रम संख्या 202403123114524 पर नियमानुसार हो रहा है। उक्त क्रय शुदा आराजी पर वादीनी काबिज काश्त चली आ रही है। वादीनी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने के लिये दिनांक 23.09.2024 को प्रतिवादी के यहां आवेदन किया जिस पर प्रतिवादी ने क्रमाक/भू अभिलेख/2024/5714 दिनांक 23.09.2024 के द्वारा आवेदन की एवं देस्तावज की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये पटवारी हल्का को निर्देशित किया। उक्त आवेदन पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.12.2024 को रिपोर्ट कर अवगत करवायां गया कि वर्तमान में नामान्तरकरण कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाईन खोले जा रहे है परन्तु पटवारी स्तर पर पटवारी की एस.एस.ओ. आई. डी. के द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय तरमीम का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रस्तुत नामान्तरकरण में ख०नं० 691 की तरमीम की जानी है जो पटवारी की आई.डी. पर संभव नहीं है इसलिये उक्त प्रकरण में नामान्तरकरण साफ्टवेयर में संशोधन के बाद या न्यायालय के आदेश द्वारा ही खोला जा सकता है जिस पर वादीनी ने प्रतिवादी से नामान्तरकरण खोलने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने न्यायालय से आदेश लाने के लिये वादीनी को कहा।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामान्तरकरण नहीं खुलने के कारण वादीनी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। वादीनी के पास वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई रैमेडी नहीं है इसलिये यह वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीनी स्वीकार फरमाया जाकर वादीनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की निर्णय व डिक्री सादिर फरमाई जावे कि कि ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी ख०नं० 691 रकबा 2.43 है० में से 1.12 हैक्टर (अर्थात 7 बीघा) आराजी उत्तर दिशा वाली (ख०नं० 904/684 व ख०न0 684 से लगवा) का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2024 के आधार पर खातेदार घोषित कर तद्नूसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित दिशा अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने की घोषणा का निर्णय एवं डिकी सादिर फरमाकर प्रतिवादी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड (जमाबन्दी) व नक्शे में तरमीम करते हुये पालना रिपोर्ट पेश करने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया। आवेदक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल चाहता है। विक्रय पत्र तथा तहसील द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अवलोकन किया गया। वाद में एकमात्र निर्धारित किए जाने वाला बिन्दु यह है कि क्या आवेदक राजस्व रिकॉर्ड में अमल की पात्रता रखता है तथा प्रश्नगत भूमि आवेदक के खाते दर्ज की जानी चाहिए। उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार भी प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के साथ ही कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम दसलाना वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। उक्त विक्रय के पेटे समस्त निर्धारित राशि का भुगतान भी उसके द्वारा किया जा चुका है। तथा प्रश्नगत आराजी का कब्जा भी उसके द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। विक्रय पत्र में स्पष्टतया क्रय किए गए भू-भाग का हिस्से में भी उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के अनुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा केवल इस आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है कि ऑनलाइन साफ्टवेयर में तरमीम का ऑप्शन नहीं आने के कारण तरमीम नहीं की जा सकती तथा इसी कारण इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का आगे कथन है कि यदि सरकार के साफ्टवेयर में कोई कमी है, तो उसके लिए प्रार्थी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उपस्थित अभिभाषक द्वारा आगे वर्णित किया गया कि तरमीम का ऑप्शन पटवारी की आईडी पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलआरसी की आईडी पर उपलब्ध है, अतः यदि न्यायालय आदेश दे तो टीडीआर व एलआरसी की आईडी से तरमीम की जा सकती है तथा इन्तकाल भी दर्ज किया जा सकता है।	

उपखण्ड अधिकारी
का..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अध्ययन किया गया। तहसील द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में नामान्तरकण कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाईन दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर पर विक्रय पत्र के नामा0 स्वतः स्वीकृत नामा0 दर्ज किए जा रहे है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न सेल डीड के अनुसार हरिप्रसाद उम्र 63 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा से वाके ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा के आराजी खाता संख्या नया 220 पुराना खाता सख्या 117 की अराजी ख०नं0 691 रकबा 2.43 है0 में से 1.1200 है0 दिनांक 03.09.2024 को क्रय की है। उक्त नामान्तकरण दर्ज करने में कोई तकनीकी समस्या नही है। प्रार्थी के तथ्य निराधार है। खसरा विभाजन एवं तरमीम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में वर्णित है। अतः केवल मात्र विक्रय पत्र के आधार पर विभाजन किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत नही है। स्पष्टतया ई पंजीयन सॉफ्टवेयर से उक्त नामान्तरकरण दर्ज नही हो पाया है। सॉफ्टवेयर की किसी कमी या त्रुटि के लिए प्रार्थी प्रताड़ित नही हो सकता। उक्त परिस्थितियों में वाद का एकमात्र निर्धारक बिन्दु वादी के पक्ष में तय किया जाता है तथा आदेश दिए जाते हैं कि विक्रयपत्र दिनांक 03.09.2024 द्वारा केता श्रीमती कृष्णा उम्र 37 वर्ष पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी 67 गांव बापचा जिला बारां को विक्रय की गई ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी ख०नं० 691 रकबा 2.43 है० में से 1.12 हैक्टर (अर्थात 7 बीघा) आराजी उत्तर दिशा वाली (ख०नं० 904/684 व ख०न0 684 से लगवा) भू–भाग को केता श्रीमती कृष्णा उम्र 37 वर्ष पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी 67 गांव बापचा जिला बारां के खाते दर्ज किया जावे तथा विक्रय पत्र अनुसार खसरा नंबर में आवश्यक तरमीम की जावे। निर्णय भी प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 3/9/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	